पूरा किया जाने का कार्यक्रम है, नदी तल विद्युत घर पर कार्य जुलाई, 1999 तक पूरा किए जाने की संभावना है। 1450 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 57% अर्थात् 826.5 मेगावाट है।

राजघाट बांध के लिए मध्य प्रदेश की वन भूमि की आवश्यकता

5185. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य राजघाट बांध से मिलने वाले अपने पानी के हिस्से को अपने प्रदेश में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश की कुछ वन भूमि चाहता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की इस वन भूमि को मध्य प्रदेश राज्य को दिलाए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं तो क्या भारत सरकार उक्त वन भूमि को लोक हित में मध्य प्रदेश को अंतरित करने के लिए उत्तर प्रदेश को कोई अनुदेश जारी करेगी यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि को गैर-वन भूमि में दिक्-परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। इस मामले पर केन्द्रीय नदी बोर्ड की नई दिल्ली में 18-8-93 को आयोजित की गई 14वीं बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल-नीति का कार्यान्वयन

5186. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में अधिक प्रगति नहीं हुई है तथा सितम्बर, 1987 से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक भी आयोजित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है जिससे जल-प्रबंधन, सिंचाई तथा संरक्षण से सम्बन्धित विवादों का शीघ्रता से समाधान हो सके और क्या वह वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने का विचार भी रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो तो इस प्रकार के मामलों से सरकार किस प्रकार से निपटने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति को क्रियान्वित करने के लिए सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया जिसकी अब तक छः बैठकें आयोजित की गई और राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित दिशा निर्देशों/नीति प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया ताकि उनको अपनाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके :

(1) जल सूचना विधेयक।

(2) नदी घाटी संगठनों की स्थापना पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(3) पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति पर नीति संबंधी टिप्पणी।

(4) जल आवंटन प्राथमिकताओं में संशोधन करना।